

क्र0	विभाग का नाम	जनसूचना अधिकारी का विरुद्ध दण्ड परित किया गया	दण्ड परित करने का दिनांक	दण्ड से निहित धनराशि	परित दण्ड के विरुद्ध विभाग द्वारा वसूल की गयी धनराशि की अद्यतन स्थिति	विभाग द्वारा जनसूचना अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की स्थिति (यदि कोई हो)	परित दण्ड के बारे में विभाग द्वारा की गयी कार्यवाही	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	राज्य कर विभाग, मुारादाबाद जेन, मुारादाबाद	श्री रमा शंकर, उपायुक्त राज्य कर	11-07-2018	रु0 5,000/-	शून्य	शून्य	<p>श्री धर्मवीर सिंह द्वारा भगी गयी जनसूचना के सम्बन्ध में भारतीय राज्य सूचना आयोग लखनऊ ने शादेश दिनांक - 11.07.2018 द्वारा तत्कालीन हिन्दी कमिश्नर (प्रशासन) वाणिज्य कर, मुारादाबाद पर बादी की सूचना उपलब्ध न कराने के सम्बन्ध में अतिपूर्ति रु0-5000.00 का बर्षदण्ड दिनांक 11-07-2018 को हिन्दी कमिश्नर (प्रशासन) वाणिज्य कर मुारादाबाद पर लगाया गया है, जिसके सम्बन्ध में तत्कालीन हिन्दी कमिश्नर के वेतन से उक्त क्षतिपूर्ति धनराशि रुपये 5000-00 की कटौती हेतु हिन्दी कमिश्नर (प्रशासन) वाणिज्य कर इटावा को हिन्दी कमिश्नर (प्रशासन) वाणिज्य कर मुारादाबाद के पत्र संख्या- 2905 दिनांक 13-03-2020 द्वारा क्षतिपूर्ति की धनराशि के जमा के साक्ष्य उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है। सूचना प्राप्त न होने की दशा में हिन्दी कमिश्नर (प्रशासन) वाणिज्य कर मुारादाबाद के पत्र संख्या- 1931 दिनांक 01-02-2021 द्वारा हिन्दी कमिश्नर (प्रशासन) वाणिज्य कर इटावा को अनुस्मारक प्रेषित कर दिया गया है, जिसके क्रम में हिन्दी कमिश्नर (प्रशासन) वाणिज्य कर इटावा द्वारा तत्कालीन हिन्दी कमिश्नर (प्रशासन) वाणिज्य कर मुारादाबाद को अपने पत्र संख्या- 305 दिनांक 18-02-2021 द्वारा उपरोक्त धनराशि जमा करने हेतु निर्देशित किया गया है। अर्थात् जमा न होने की दशा में हिन्दी कमिश्नर (प्रशासन) वाणिज्य कर मुारादाबाद के पत्र सं0 458 दिनांक 28-06-2021 द्वारा तत्कालीन हिन्दी कमिश्नर को अर्थात् जमा करने की अपेक्षा की गयी है, जिसके क्रम में तत्कालीन हिन्दी कमिश्नर (प्रशासन) वाणिज्य कर</p>	शून्य


					<p>मुद्राबाद वर्तमान डिप्टी कमिश्नर (वि0अनु0भा0) वाजिज्य कर, इटावा द्वारा पत्र संख्या 458 दिनांक 28.6.2021 प्रेषित करते हुये अवगत कराया गया है कि मा0 आयोग द्वारा उक्त वाद में सुनवाई हेतु निचत दिनांक 03.08.2021 के उपरान्त आरोपित अर्थदण्ड रुपये. 5000.00 की वसूली सम्पादन करते हुये वाद निस्तारित कर दिया गया है। किन्तु इस संबंध में स्पष्ट आदेश के अभाव में क्षतिपूर्ति शुल्क 5000.00 जमा कराने हेतु पुनः पत्र संख्या 1686 दिनांक 27.12.2021 तथा पुन- पत्र संख्या 337 दिनांक 31-05-22 व पत्रांक- 2221 दिनांक 31-03-23 व पत्रांक 1425 दिनांक 21.11.2023 द्वारा पत्र प्रेषित किया गया है जमा प्रमाण प्राप्त होते ही साक्ष्य महोदय की सेवा में प्रेषित कर दिया जायेगा। द्वारा पत्र प्रेषित किया गया है।</p>	
02	राज्य कर विभाग, मुद्राबाद जोन, मुद्राबाद	श्री दिव्यामूर्ति, कार्यालय राज्य कर अधिकारी खण्ड-1 विजनौर	16-07-2018	₹0 25000.00	<p>अधिरोधित अर्थदण्ड जमा कराये जाने हेतु सम्बन्धित खण्ड के डि0कमि0 को इस स्तर से पत्र सं0 1153 दि0 01-03-2023 प्रेषित किये गये हैं।</p>	<p>अधिरोधित अर्थदण्ड के सम्बन्ध में माननीय जिलाधिकारी विजनौर के पत्र संख्या- 220 दिनांक 24-02-2020 जो इस कार्यालय को दिनांक 25-02-2020 को प्राप्त हुआ है, के द्वारा जानकारी मिली है। अर्थदण्ड समाप्ति हेतु इस स्तर से माननीय सूचना आयुक्त के सम्मक्ष प्रत्यावेदन पत्र संख्या- 589 दिनांक 25-02-2021 से किया गया है जो मा0 राज्य सूचना आयोग में लम्बित है। इस कार्यालय द्वारा उपायुक्त राज्य कर, खण्ड-2 नजीबाबाद, महोदय को पत्रांक 801 दिनांक 17-02-2022 लिखा गया तथा श्री दिव्यामूर्ति, उपायुक्त राज्य कर, खण्ड-4, महोदय को पत्र सं0 140 दि0 09-05-2014 व पत्र सं0- 1151 दिनांक 01-03-2023 को अर्थदण्ड जमा कराने हेतु प्रेषित किये गये हैं।</p>

AK

MM

शून्य

03	राज्य कर	श्री राजेश कुमार, डिप्टी कमिश्नर(क0ब0)/ अधिकारी, वा0क0 गाजियाबाद	15.11.2017	25000.00	00	कोई नहीं	पुनर्व्यवस्था प्रार्थना पत्र मा0 30प्र0 राज्य सूचना आयोग के समक्ष दिनांक 01.11.2018 में दखिल किया गया है। आदेश निर्गत होने तक दण्ड की वसूली की कार्यवाही स्थगित की गयी है।	मा0 30प्र0 राज्य सूचना आयोग के समक्ष पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र पर अन्तिम निर्णय/आदेश निर्गत होने तक दण्ड की वसूली की कार्यवाही स्थगित की गयी है।
04	राज्य कर	श्री जे0पी0सिंह, से0नि0 डिप्टी कमिश्नर (प्रशा0) / तत्कालीन जनसूचना अधिकारी, वा0क0 गाजियाबाद	27.01.2016	25000.00	00	कोई नहीं	मा0 30प्र0 राज्य सूचना आयोग के समक्ष पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र पर अन्तिम निर्णय/आदेश निर्गत होने तक दण्ड की वसूली की कार्यवाही स्थगित की गयी है।	मा0 30प्र0 राज्य सूचना आयोग के समक्ष पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र पर अन्तिम निर्णय/ आदेश निर्गत होने तक दण्ड की वसूली की कार्यवाही स्थगित की गयी है।
05	राज्य कर	श्रीमती सरिता सिंह, तत्कालीन जनसूचना अधिकारी/डि0कमि0 (प्रशा0) वा0क0 शांसी।	22.11.2012	25000.00	00	00	श्रीमती सरिता सिंह, ज्वाइंट कमिश्नर (कार्यपालक) वाणिज्य कर, सभागा-बांदा तत्कालीन जनसूचना अधिकारी/ डिप्टी कमिश्नर (प्रशा0) वाणिज्य कर, शांसी द्वारा अपने कार्यालय के पत्र संख्या- 975 दिनांक 23.11.2019 से अवगत कराया गया है कि उनके प्रत्यावेदनपर मा0 राज्य मुख्य सूचना आयुक्त , 30प्र0 लखनऊ द्वारा भी सुनवाई की कोई तिथि नियत नहीं की गई है।	श्रीमती सरिता सिंह, ज्वाइंट कमिश्नर (कार्यपालक) वाणिज्य कर, सभागा- बांदा तत्कालीन जनसूचना अधिकारी/ डिप्टी कमिश्नर (प्रशा0) वाणिज्य कर, शांसी द्वारा अपने कार्यालय के पत्र संख्या- 975 दिनांक 23.11.2019 से अवगत कराया गया है कि शिकायत अपील सं0-12482/सी0/2011 के मामले में आदेश दिनांक 22.11.2012 के विरुद्ध मेरे द्वारा मा0 राज्य सूचना आयुक्त 30प्र0 लखनऊ के समक्ष अपील क्रमांक-104002 दिनांक 20.03.2018 दायर की गयी है जो वर्तमान में लम्बित है।
06	राज्य कर	श्री विपिन कुमार सोनकर, सहायक आयुक्त, जौनपुर	02.08.2023	25000.00	धनराशि वसूल नहीं हुयी	अनुशासनिक कार्यवाही हेतु पत्र प्रेषित।	अनुशासनिक कार्यवाही हेतु पत्र प्रेषित।	-शून्य-


 (जफ़ीर अहमद)

संयुक्त आयुक्त(जनसूचना)

राज्य कर, मुख्यालय, लखनऊ।